न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 19/2024

श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्रीनारायण शर्मा निवासी ढोला का खेडा तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक
--प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 8.05.2024**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 07.03.2024 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 125 दिनाक 13.03.2024 से लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः-

1. परिवाद कमांक एफ 45 (11) एलएएस/2021 लोकायुक्त द्वारों जिला कलेक्टर टोंक को चारागाह भूमि में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को उपखंण्ड अधिकारी मालपुरा की रिपोर्ट दिनांक 1.11.2023 के बाद भी निरस्त नहीं करने के सबंध में लिखे गए पत्र पर आप द्वारा की गई कार्यावाही व प्राप्त रिर्पोट/भेजी गई रिर्पोट मय सग्लन दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराये।
2 उपखंण्ड अधिकारी मालपुरा की रिपोर्ट दिनांक 1.11.2023 के बाद कार्यालय जिला कलेक्टर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक राजस्व/04/5224 दिनांक 3.12. 2004 को निरस्त करने के संबंध में खनिज अभियंता टोंक को लिखा गया हो तो मय संग्लन दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध कराये।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 407 दिनांक 29.04.2024 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 1073 दिनांक 02.05.2024 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में

जिला कलेक्टर
टोंक

उनके पत्र क्रमांक 890 दिनांक 26.03.2024 से सूचना प्रेषित कि गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सतर्कता शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक